राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 909/2014/जयपुर
2. अपील संख्या 910/2014/जयपुर
3. अपील संख्या 911/2014/जयपुर
4. अपील संख्या 912/2014/जयपुर
5. अपील संख्या 913/2014/जयपुर
6. अपील संख्या 914/2014/जयपुर
7. अपील संख्या 915/2014/जयपुर
8 अपील संख्या 916/2014/जयपुर
9. अपील संख्या 917/2014/जयपुर
10. अपील संख्या 918/2014/जयपुर
11. अपील संख्या 919/2014/जयपुर
12. अपील संख्या 920/2014/जयपुर
13 अपील संख्या 921/2014/जयपुर
14. अपील संख्या 922/2014/जयपुर
15. अपील संख्या 923/2014/जयपुर
16. अपील संख्या 924/2014/जयपुर

सिटीमैक्स होटल्स (इण्डिया) प्रा0लि0,
फनसिटी, III, फ्लोर, एम.जी.एफ मॉल, बाइस गोदाम,
सर्किल, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त,
   प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर।
2. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय,
   वा.क.वि., जयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनंत कासलीवाल,
अभिभाषकगण। .....अपीलार्थीगण की ओर से

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.09.2016

निर्णय

1. उपर्युक्त 16 अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन वाणिज्यिक कर, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 13ए के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

क्र.स.	अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	विवादित कर	विवादित ब्याज
1	909/14	376/अपी.प्रा.–II/मनो.कर	7,89,913	2,21,175
2	910/14	377/जनवरी, 2011	2,74,184	74,030
3	911/14	378/फरवरी, 2011	1,89,364	49,235
4	912/14	379/मार्च, 2011	2,46,500	61,625
5	913/14	380/अप्रैल, 2011	2,40,549	57,732
6	914/14	381/मई, 2011	3,36,649	77,429
7	915/14	382/जून, 2011	3,20,915	70,601
8	916/14	383/जुलाई, 2011	2,32,092	48,739
9	917/14	384/अगस्त, 2011	2,71,583	54,317
10	918/14	385/सितम्बर, 2011	1,97,579	37,540
11	919/14	386/अक्टूबर, 2011	2,25,681	40,623
12	920/14	387/नवम्बर, 2011	2,11,693	35,988
13	921/14	388/दिसम्बर, 2011	2,76,536	44,246
14	922/14	389/जनवरी, 2012	2,38,231	35,735
15	923/14	390/फरवरी, 2012	1,65,092	23,113
16	924/14	391/मार्च, 2012	2,76,000	35,880

लगातार 2

2. इन प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.12.2012 को अपीलार्थी कंपनी की जांच की गयी। जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपने विस्तार में इलेक्ट्रोनिक/इलेक्ट्रिक मशीन्स पर मनोरंजन हेतु बच्चों को फनसिटी कार्ड जारी किये जाते है व भुगतान पर इन कार्डस को चार्ज व रिचार्ज किया जाता हे। अपीलार्थी कंपनी द्वारा इलेक्ट्रोनिक/इलेक्ट्रिक मशीन्स के फन कार्ड के उपयोग पर प्राप्त राशि पर अधिनियम की धारा 4 के तहत देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के द्वारा संचालित वीडियो गेम्स मशीनों तथा अन्य सभी इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों (डिवाईसेज) द्वारा आमोद व मनोरंजन होना मानते हुए व्यवहारी द्वारा संचालित गतिविधि को मनोरंजन पर आरोपण योग्य मानकर करारोपण किया गया है तथा आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा देय मनोरंजन कर का अपवंचन किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में धारा 10(3)(बी)(iii)(iii) के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई, अपीलीय प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए आदेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा मनोरंजन कर व ब्याज के बिन्दु पर पुनः कर निर्धारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यें 16 अपीलें अधिनियम की धारा 13–बी के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरणों में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने समस्त प्रकरणों में अपने आदेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 15.11.2014 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिये हैं। इन आदेशों के विरूद्ध पुनः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 13ए के तहत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की हैं, जिनका निस्तारण भी विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2015 द्वारा कर दिया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यें 16 विवादित अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

लगातार 3

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपीलों को अपने आदेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा आंशिक स्वीकार कर, प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये थे। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन अपने विविध आदेश दिनांक 25.11.2014 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरणों में दिनांक **25.11.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत समस्त अपीलें ''सारहीन'' हो गयी है ।

परिणामतः अपीलें ''सारहीन'' होने के कारण खारिज की जाती हैं।
निर्णय प्रसारित किया गया ।

16.9.2016
(मदन लाल)
सदस्य